न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 203/2016

1. दयालसिंह पुत्र श्री केसरसिंह जाति कुम्हार साकिन 6 एस.के.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. जंगीरसिंह पुत्र श्री केसरसिंह जाति कुम्हार साकिन 1 एस.के.एम.बी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. ज्ञानचन्द पुत्र श्री केसरसिंह जाति कुम्हार साकिन हनुमान कालोनी चक 5 ई छोटी जिला श्रीगंगानगर।
4. जगरूपसिंह पुत्र श्री केसरसिंह जाति कुम्हार साकिन 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. बलदेवसिंह पुत्र श्री केसरसिंह जाति कुम्हार साकिन 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. परमेश्वरी देवी पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार साकिन हनुमान कालोनी चक 5 छोटी श्रीगंगानगर।
2. तेजकौर पत्नी महैन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन सदीक पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. नसीबकौर पत्नी गोपालराम जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री भजनलाल टाक अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री रमेशसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

दिनांक :– 27.04.2017

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के पिता केसरसिंह के नाम से वाके चक 15 एम.एल. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी.के खाता संख्या 18/13 के मुरब्बा नम्बर 14–15 में 0.497 हैक्टर रकबा खातेदारी है इसी प्रकार वाके चक 6 एल.एन.पी. के खाता संख्या 20/26 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, 21 में 1.037 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1, 8, 9, 10 में 0.809 इस प्रकार कुल 1.846 हैक्टर खातेदारी रकबा मुताबिक जमाबन्दी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है चक 1 एस.के.एम (बी) के खाता संख्या 5/. के पत्थर नम्बर 168/14 के पत्थर नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 2

188/14 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 15 में 6.325 हैक्टर रकबा खातेदारी दर्ज कागजात माल है इस प्रकार तीनों चको रकबा वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है वादीगण के पिता का देहान्त दिनांक 25.03.2016 को हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न वाद है।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता द्वारा अपनें जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित रकबा का बंटवारा कर दिया जिसमें वादीगण प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को इनकी शादी के समय काफी दान दहेज देनें के कारण उपरोक्त वर्णित रकबा में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा अपनें हिस्सा का परित्याग पिता के जीवनकाल में कर दिया गया था इस प्रकार वादीगण उक्त उपरोक्त वर्णित रकबा पर 1/5–1/5 हिस्सा पर काबिज काश्त है एवम् वादीगण के पिता के द्वारा भी वाके चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1.037 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 17 की 1.846 हैक्टर तथा चक 1 एस.के.एम.बी. के मुरब्बा नम्बर 13 में 6.325 हैक्टर रकबा को वसीयत होनें के कारण वसीयतनामा के मुताबिक खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपनें पिता द्वारा बंटवारा करनें एवम् अपनें हिस्सा का परित्याग करनें के कारण उक्त आराजी पर कोई हिस्सा एवम् अधिकार नहीं रहा है वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कहा कि आन अपनें पिता के द्वारा किये गये बंटवारा एवम् अपनें अपनें हिस्सा का परित्याग कर देनें के कारण उक्त आराजी को वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5–1/5 हिस्सा अनुसार अंकन करवा दे तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये यहि वाद कारण है।

अतः दावा पेश निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. वादीगण को चक 1 एस.के.एम. (बी.) के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर तथा वाके चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 14, 15 में 0.497 हैक्टर व चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, 21 में 1.037 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1, 8, 9, 10 में 0.809 हैक्टर भूमि को पारिवारिक समझौता/वसीयतनामा के अनुसार वादीगण 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जावे।
3. प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
4. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
5. अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 07.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझनें के बाद हस्ताक्षर किये जानें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान करनें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया हमारे पिता श्री केसरसिंह पुत्र श्री मेहरसिंह के नाम से चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, 21 में 1.037 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1, 8, 9, 10 में 0.809 हैक्टर कुल 1.846 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी

इसी प्रकार चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 14, 15 में 0.497 हैक्टर एवम् 1 एस.के.एम. (बी.) के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर रकबा मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी है। हमारे पिता केसरसिंह का देहान्त दिनांक 25.03.2016 को हो चुका है हम पक्षकारान के पिता द्वारा अपनें जीवनकाल में उक्त उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपनें पांचों पुत्रों को 1/5–1/5 हिस्सा अनुसार बांट कर दे दी गई थी।

हम पक्षकारान के पिता केसरसिंह द्वारा भी अपनी आय शुद्धा स्वंय अर्जित भूमि वाके चक 1 एस.के.एम. (बी.) के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर भूमि की वसीसत भी उप पंजीयक घड़साना के समक्ष निष्पादित की गई। उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से 1/5–1/5 हिस्सा की खातेदारी घोषित कर दी जावे तो हमें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। और ना ही भविष्य में इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई क्लम दावा ऐतराज करेंगें।

अतः पारिवारिक समझौता/राजीनामा पेश का निवेदन है, कि उपरोक्त वर्णित तीनों चकों की कृषि भूमि का वादीगण के पक्ष में 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट तथा तहसीलदार घड़साना द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें वाद पत्र एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत का भी अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपनें राजीनामा में किये गये कथनानुसार चक 1 एस.के.एम. (बी.) के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर भूमि की वसीसत भी उप पंजीयक घड़साना के समक्ष निष्पादित की गई। उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से 1/5–1/5 हिस्सा की खातेदारी घोषित कर दी जावे तो हमें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। और ना ही भविष्य में इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई क्लम दावा ऐतराज करेंगें। तथा वाद में वर्णित तीनों चकों की कृषि भूमि का वादीगण के पक्ष में 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जानें हेतु उभयपक्ष द्वारा सहमति/राजीनामा पेश करनें पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण संख्या 1 ता 5 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत राजीनामा अनुसार वाद में वर्णित भूमि चक 1 एस.के.एम. (बी.) तहसील घड़साना के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर तथा तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 14, 15 में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 4

0.497 हैक्टर व चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, 21 में 1.037 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1, 8, 9, 10 में 0.809 हैक्टर भूमि को पारिवारिक समझौता/वसीयतनामा के अनुसार वादीगण 1/5–1/5 हिस्से का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर/घड़साना को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

आदेश की नियमानुसार पालना हेतु तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर/घड़साना को लिखा जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर